



पत्रांक :- पत्रांक:- BEP/RTE/Pvt. Reg./2019-20/ 607

दिनांक .....12...../02/2020

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,  
C.B.S.E PUBLIC SCHOOL,  
BASDILA KHASH,  
BLOCK- GOPALGANJ

विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की नवीनीकरण का प्रमाण- पत्र।

महाशय / महाशया,

आपके द्वारा संचालित विद्यालय C.B.S.E PUBLIC SCHOOL, BASDILA KHASH, BLOCK- GOPALGANJ प्रस्वीकृति सं0-09 वर्ग- I-VIII सत्र-2012-13 से 2018-19 तक के नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं उसके कम में किये गये निरीक्षण के आलोक में निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, गोपालगंज द्वारा विद्यालय का नवीनीकरण तीन शैक्षणिक वर्षों 2019-20 से 2021-22 तक के अवधि तक किया जाता है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति/नवीनीकरण पूर्व के शर्तों के साथ-साथ निम्न संशोधित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:-

1. विद्यालय द्वारा बिहार निजी विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2019 के अनुपालन में शुल्क विनियमन समिति के आदेश के आलोक में विद्यालय का बेवसाइट खोलते हुए शुल्क से संबंधित जानकारी बेवसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. विद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष यू-डायस प्लस प्रपत्र के द्वारा विद्यालय से संबंधित आँकड़ा जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।
3. विद्यालय द्वारा सुरक्षा मानक का पालन करते हुए विद्यालय परिसर में अग्निशामक यंत्र एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा।

Rafiq  
12/02/2020

विश्वासभाजन  
जिला कार्यकर्म पदाधिकारी,  
(प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान)  
गोपालगंज।